नियमावली

1- संस्था का नाम - **मॉं सरयू एजुकेशनल सोसाइटी**

2- संस्था का पता - गोला बाजार बरहलगंज रोड,गोरखपुर-273408 (उत्तर प्रदेश)

3- संस्था का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4- संस्था का उद्देश्य- जैसा कि स्मृत-पत्र में दिया गया है ।

5- संस्था कीसदस्यता- संस्था के उद्देश्यों, नियमों में निष्ठा रखने वाले बिभिन्न सदस्यों की सदस्यता निम्नवत होगी ।

1- <u>संस्थापक सदस्य</u> :- संस्था के गठन करने वाले सदस्य जिनका विवरण स्मृत-पत्र में दिया गया है तथा जिन्होंने संस्था को एक मुस्त मुबलिग 10,000/- रुपया या उससे अधिक कि धनराशि का योगदान संस्था के मद में दिया है, संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेंगे । उक्त संस्थापक सदस्यों को भी वार्षिक रूप से करना आवश्यक होगा ।

2- <u>आजीवन सदस्य</u> :- वह व्यक्ति जो समाज हित में संस्था के उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने के लिए समर्पित हो और संस्था में मुबलिग 5000/- रुपया सदस्यता शुल्क के रूप में प्रदान करे, उसे प्रबंध समिति के अनुमोदन के उपरांत सचिव दवारा संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकेगा ।

3- <u>सामान्य सदस्य</u> :- सामान्य सदस्य, सचिव संस्था के कोष में प्रवेश शुल्क 10/- रुपया एवं 10/- रुपया मासिक शुल्क जमा करवा कर बना सकेंगे अगर सदस्य वर्ष भर का सदस्यता शुल्क एक बार ही जमा करे तो उसे मुबलिग 100/- रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करना होगा ।

4- <u>मनोनीत सदस्य</u> : संस्था के हित में सचिव दवारा समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को संस्था के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा , जिनकी संख्या अधिकतम पांच होगी तथा जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा ।

अनुपचन्द
Abhinandan chand
Lokesh chand
नीतेश चन्द
शिखा चन्द
फूलादेवी
विशाल चन्द
चन्द्रधाराम

अध्यक्ष
मॉं सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

6- सदस्यता की समाप्ति :-

(अ)- निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी :-

1- सदस्य की मृत्यु होने पर।

2- सदस्य का मानसिक संतुलन खो जाने पर।

3- न्यायालय द्वारा सदस्य को दिवालिया घोषित किये जाने पर अथवा गंभीर अपराध में दण्डित किये जाने पर।

4- निर्धारित अवधि पर शुल्क न जमा करने पर।

5- लगातार तीन बैठकों में बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहने पर।

(ब)- संस्था के उद्देश्यों के बिपरीत आचरण सिद्ध हो जाने पर अथवा संस्था के हितो के बिपरीत कार्य करने पर किसी सदस्य की सदस्यता प्रबंध समिति द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

7- संस्था के अंग :- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबंध समिति / कार्यकारिणी सभा

8- साधारण सभा<u>गठन</u> :- साधारण सभा का गठन सभा के नियम 5 के उपनियम 1, 2 व 3 में दिए गए समस्त सदस्य मिलकर करेंगे।

<u>बैठके</u>:- साधारण सभा की बैठके सामान्यतः प्रतिवर्ष एक बार अवश्य हुआ करेगी, आवश्यकता होने पर एक से अधिक बार बैठके हो सकेंगी।

<u>सूचना अवधि</u> :- साधारण सभा की प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजी जाएगी, बिशेष या आकस्मिक बैठक के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना दी जा सकेगी।

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

गणपूर्ति :- साधारण सभा की प्रत्येक बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या ½ उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी । गणपूर्ति के आभाव में स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी ।

वार्षिक अधिवेशन :- संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर संपन्न होगा ।

अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- प्रत्येक पांच वर्ष बाद साधारण सभा के सदस्यों में से प्रबंध समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का चुनाव करना ।
2- वार्षिक आय-व्यय का बजट पास करना ।
3- संस्था का निति निर्धारण करना ।
4- प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत बिषयों पर अपनी स्वीकृत/अस्वीकृति प्रदान करना ।
5- अन्य सभी कार्य करना जो कि संस्था के प्रगति में सहयोगी हो ।

प्रबंध समिति- गठन :- प्रबंध समिति का गठन नियम 5 के उपनियम 1,2,3 में दिए गए सदस्यों में से किया जायेगा जिसमे कुल सदस्य व पदाधिकारी मिलकर 10 होंगे जो निम्न लिखित होंगे :-
1-अध्यक्ष 2-उपाध्यक्ष 3-सचिव/ प्रबन्धक 4-उपसचिव / कोषाध्यक्ष
6 सदस्य कार्यकारिणी ।

बैठकें :- प्रबंध समिति की वर्ष कम से कम तीन बैठक सचिव द्वारा सूचना प्रेषित कर आयोजित की जाएगी, आवश्यकता होने पर तीन से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकेंगी ।

चुनाव :- संस्था में पदाधिकारियों का चुनाव मूलतः सर्वसम्मति के आधार पर किया जायेगा, पदों के चुनाव में विवाद की स्थिति में संस्था द्वारा मनोनीत किसी संरक्षक सदस्य कि

Lokesh Chand
म. पू. चन्द
Abhinandan Chand
Lokesh chand
नीतेश
जीतनारायन चन्द
शिखा चन्द
कलादेवी
निशाचन्द
चन्द्रप्रकाश

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

देख-रेख मे गुप्त मतदान भी हो सकेगा और इस स्थिति मे मनोनीत सदस्य का निर्णय अंतिम होगा |

<u>गणपूर्ति</u> :-प्रबंध समिति के बैठक के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जाएगी | गणपूर्ति के आभाव मे स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति कि आवश्यकता नहीं होगी |

<u>सूचना अवधि</u> :- प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 7 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजी जाएगी | बिशेष या आकस्मिक बैठक के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना दी जा सकेगी |

<u>रिक्त स्थानों की पूर्ति</u> :-प्रबंध समिति के सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति शेष कार्यकाल की अवधि के लिए प्रबंध समिति, साधारण सभा के सदस्यों में से करेगी |

<u>कर्तव्य एवं अधिकार</u> :-

1- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमो का चयन व उनका सफलता पूर्वक आयोजन/क्रियान्वयन करना |
2- आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय-व्यय बजट बनाकर साधारण सभा से अनुमोदन करना |
3- संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और घटन एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना तथा संस्था के विरुद्ध अदालती कार्यवाही में संस्था का सचिव प्रतिनिधित्व द्वारा करना |
4 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उपसमितियों का गठन करना | क्रय-बिक्रय तथा ऋण अनुदान के समस्त कागजातों पर अपना हस्ताक्षर बनाना |
5- सचिव द्वारा प्राप्त हिसाब-किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना तथा संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए चन्दा, दान , अनुदान स्थानीय निकायों एवं सरकारी , गैरसरकारी बिभागों से सहायता प्राप्त करना |
6- संस्था के हित के लिए योजनाए बनाना व क्रियान्वित करना |

<u>कार्यकाल</u> :- प्रबंध समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा किन्तु विशेष

Abhinandan Chand
Lokesh Chand

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

परिस्थितियों में समिति के निर्णयानुसार और भी बढ़ाया जा सकेगा तथा प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को अपने पदों पर अगले निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

10 पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(1)- अध्यक्ष :-

1- संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा किसी प्रस्ताव पर सामान मत आने पर अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।

2- प्रबंध समिति की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का बिभाजन करना और समय-समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना और सचिव के सहयोग से सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थाओं से सहयोग एवं सहायता स्थापित करना।

(2)- उपाध्यक्ष :-अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

(3)- प्रबंध/सचिव:- प्रबंध/सचिव के निम्नलिखित अधिकर होंगे :-

1- संस्था की समस्त बैठकों को आमंत्रित करना उनके आयोजन की पूर्ण व्यवस्था अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से करना।

2- संस्था की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/करना।

3- संस्था की प्रबंध समिति के समस्त प्रस्तावों एवं आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना।

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4-संस्था की ओर से समस्त पत्र-व्यवहार करना और ऋण अनुदान तथा क्रय-विक्रय के समस्त कागजातों पर अपना हस्ताक्षर करना ।

5-संस्था की चल-अचल सम्पति की सुरक्षा करना तथा किराये पर लेना-देना व विभिन्न कार्यों की देख-रेख करना ।

6-संस्था के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट प्रबंध समिति के समक्ष रखना ।

7-संस्था एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि, निलम्बन, बहाल आदि प्रबंध समिति के अनुमोदन पर करना ।

8-संस्था के सचिव के रूप में संस्था के हित में और संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य समस्त कार्यों को करना ।

4-उपसचिव :-प्रबंध/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करना ।

5-कोषाध्यक्ष :- कोषाध्यक्ष के निम्न अधिकार होंगे :-

1- वार्षिक बजट तैयार करना तथा साधारण सभा एव सचिव के सामने प्रस्तुत करना जो प्रबंध समिति के संस्तुति पर ही मानी होगा ।
2- समिति के आय-व्यय का लेखा करना ।
3- मासिक अधिव्यय का लेखा तैयार करके प्रबंध समिति और साधारण सभा के सामने प्रस्तुत करना ।
4- चन्दे की रशीद काटना व हिसाब रखना ।
5- समिति के धन को जमा करना व निकलना तथा 2500/- रूपये तक अपने पास रखना ।

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Abhimardan chand
Lokesh chand

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

11-संस्था का कोष :- (अ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था का अपना एक कोषहोगा जिसमे सभी प्रकार के सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान एवंसरकारी, अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों से ली गयी राशियाँ निहित होंगी।

(ब) संस्था के कोष की व्यवस्था के लिए इसके खाते किसी राष्ट्रीयकृत / मान्यता प्राप्त बैंक में खोले जायेंगे जिसका संचालन सचिव द्वारा अकेले किया जायेगा।

12 लेखा परिक्षण :- संस्था का लेखा परीक्षण प्रबंध समिति द्वारा नियुक्ति किसी भी सदस्य द्वारा किया जायेगा, आवश्यक होने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भी किया जा सकेगा।

13- संस्था के अभिलेख :- संस्था के अभिलेख को तैयार करने, रख रखाव का व सुरक्षा का दायित्व सचिव का होगा, निम्नलिखित अभिलेख मुख्य तौर पर संस्था के अभिलेख होंगे :-

1- सूचना रजिस्टर
2- कार्यवाही रजिस्टर
3- सदस्यता रजिस्टर
4- सम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि

14- नियमों में संशोधन :- संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकेगा तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध समिति द्वारा उपनियम भी बनाये जा सकेंगे।

15- संस्था के विघटन की स्थिति :- संस्था का विघटन होने की स्थिति में इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति का निस्तारण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत किया जायेगा।

(अभ्यर्थना)
मंजु चन्द
Abhinandan chand
Lokesh chand
नौकेश चन्द
शीतलनारायण चन्द
शिखा सिंह
फूलादेवी
किशोरचन्द
चन्द्रप्रकाश

19/8/15

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

16- <u>अन्य प्राविधान</u> :- संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यकतानुसार नियमों व उपनियमों को बनाया जा सकेगा तथा अतिरिक्त प्राविधानों का भी निर्धारण किया जा सकेगा |

कार्यालय सहायक निबंधक ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर

दिनाक :- 13/1/15

[illegible]
[illegible] चन्द
Abhinandan Chand
Lokesh Chand
नीतेश चन्द
[illegible] चन्द
शिखा चन्द
फूलादेवी
विशाल चंद
चन्द्रप्रकाश

लिपि कर्ता
बयान कर्ता

सत्य – प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ एवं चिट्स
गोरखपुर

अध्यक्ष
माँ सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला, गोरखपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner